भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3329
दिनांक 20 मार्च, 2025

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के वितरण, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण में अनियमितताएं

3329. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के वितरण, आपूर्ति एवं मूल्य निर्धारण में अनियमितताएं हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों एवं डीलरों द्वारा कम माप/तौल, कालाबाजारी एवं अवैध आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई औद्योगिक इकाइयां एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अवैध रूप से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन अनियमितताओं की गहन जांच के लिए केन्द्रीय एजेंसी भेजने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने पर विचार कर रही है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे भारत से विभिन्न विषयों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनमें कम माप/तौल, कालाबाजारी, खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) व एलपीजी वितरकों द्वारा अवैध आपूर्ति शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ओएमसीज के आरओ और एलपीजी गोदामों और एलपीजी वितरकों के शोरूम में प्राप्त/अभिज्ञात अनियमितताओं/कदाचारों की शिकायतों की जाँच की जाती है और क्रमशः विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) और डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के अनुसार साबित मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी (अधिक मूल्य की वसूली और विपथन) को रोकने के लिए, सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" लागू किया है और "विपणन अनुशासन दिशानिर्देश" तैयार किए हैं, जो एलपीजी के विपणन में विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त एलपीजी वितरकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करते हैं। केंद्र सरकार ने समय-समय पर पेट्रोलियम उत्पादों

में मिलावट और अन्य कदाचार को रोकने के प्रयोजन से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मोटर स्प्रिट (एमएस)/हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) नियंत्रण आदेश, मिट्टीतेल नियंत्रण आदेश, नेफ्था नियंत्रण आदेश, सॉल्वेंट, रैफिनेट और स्लोप नियंत्रण आदेश आदि जैसे विभिन्न नियंत्रण आदेश भी निर्गत किए हैं।

इसके अलावा, अनियमितताओं/कदाचारों का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में आरओज़ पर ओएमसीज के क्षेत्राधिकारी/वरिष्ठ अधिकारी/मोबाइल प्रयोगशाला अधिकारी/गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा नियमित/औचक निरीक्षण किए जाते हैं। एलपीजी गोदामों और एलपीजी वितरकों के शोरूम में ओएमसीज के क्षेत्राधिकारी, मिलावट-रोधी प्रकोष्ठ और सतर्कता विभाग द्वारा नियमित/औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं।

ओएमसीज ने पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से दिसंबर 2024) के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में 1426 साबित मामलों में आरओज के विरुद्ध कार्रवाई की है। ओएमसी ने पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से दिसंबर 2024) के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में एलपीजी रिफिल का विपथन (घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बेहिसाब बिक्री), रिफिल/नए एलपीजी कनेक्शन पर अधिक शुल्क लेना, ग्राहकों को कैश-एंड-कैरी छूट का अनुपालन न करना, कम वजन वाले सिलेंडरों की आपूर्ति जैसे एलपीजी (रिफिल वितरण, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण) के विपणन में अनियमितताओं के 189 साबित मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई की है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं जैसे राजसहायता प्राप्त सिलेंडरों की आपूर्ति पर सीमा लगाना, डी-डुप्लीकेशन, उपभोक्ता को राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए 'पहल' जिससे 'फर्जी' खातों, कई खातों और निष्क्रिय खातों की पहचान करने में मदद मिली। इससे राजसहायता वाले एलपीजी को वाणिज्यिक उद्देश्यों के निमित्त विपथित करने पर भी अंकुश लगाने और केवाईसी अभ्यास आदि सहायता मिली है, जिससे राजसहायता वाले एलपीजी सिलेंडरों का दुरुपयोग और विपथन कम हुआ है।

ओएमसीज के पास पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की पहचान करने और जाँच करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और तेल विपणन कंपनियाँ मिलावट और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठा रही हैं।

****